न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 33 /2024 तारीख रजू :- 2-04-2024

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

आईoडीo नम्बर 2024/87

उनवान

...ौड पुत्र श्री कैलाश चंद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी काना हनुमान पाडा हिण्डौन सिटी तहसील ... जिला करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

...द शर्मा पुत्र स्व0 रघुवीर शरण शर्मा वगै0 जाति ब्राहमण निवासी काना हनुमान पाडा तहसील हिण्डौन ...रौली राजस्थान

—गैरसायलान् 25

...नांक	फर्द अहकाम	
...4.2024	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री युसुफ अली एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को बेदखल नही करने, शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नही करने एवं रहनव्यय नही करने हेतु उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7398, 7399, 7400, 7402, 7403, 7404, 7405 वाकेग्राम कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक सायल के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं तलबी उभयपक्ष को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 29.04.2024 को पेश हों। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
29/4/24	पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली पूर्वनिर्धारित दिनांक 6-6-24 को पेश हो।	
...5/24	पत्रावली आज पेश हुई। सायल व सायल वकील उप० [illegible] सायल व सायल [illegible] किया कि सायल व सायल [illegible] की [illegible] नही [illegible] वकील ने [illegible] चाहते है। अतः मु० नं० 33/24 [illegible] बनाम [illegible] नोटिस में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तमाम होकर [illegible] की जावे।	[illegible] [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:11:38 IST
Reason: SelfAttested